

1बी. जहाजों के पंजीकरण के लिए चेकलिस्ट - विदेश में सेकेंड हैंड अधिग्रहण - अनंतिम सी.ओ.आर.		
क्रमांक ।	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	टिप्पणी हां/नहीं
	कंपनी और प्रोपाइटरशिप के लिए मास्टर दस्तावेज (शुरू में केवल एक बार आवश्यक। किसी भी परिवर्तन के प्रभावी होने पर कंपनी द्वारा अद्यतन किया जाना चाहिए।)	
ए	कंपनी के निगमन प्रमाणपत्र की प्रति	
बी	कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की प्रतिलिपि, जिसमें उद्देश्य के रूप में 'शिपिंग' लिखा हो	
ए	स्वामित्व के पंजीकृत दस्तावेज की नोटरीकृत प्रति, यदि रजिस्ट्री में फर्म का नाम उल्लेखित किया जाना है	
	चरण-1: नाम, कॉल साइन, एमएमएसआई और आधिकारिक संख्या के लिए अनुमोदन और चरण-2: नक्काशी और अंकन नोट जारी करना (नोट: चरण-1 और चरण-2 को एक साथ निष्पादित किया जा सकता है)	
1	कंपनी के लॉटर हंड में निधारित प्रारूप में जहाज के नाम, कॉल साइन आदि का राजस्ट्री और आवंटन के लिए आवेदन।	
1	एकल मालिक या संयुक्त मालिकों के मामले में साद कागज पर राजस्ट्री और नाम, कॉल साइन आदि के आवंटन के लिए आवेदन	
2	स्टाम्प पेपर पर प्रत्येक संयुक्त मालिक के शेरों को मूल नोटरीकृत घोषणा, सभी संयुक्त मालिकों द्वारा हस्ताक्षरित	
3	दिए गए प्रारूप के अनुसार पंजीकृत किए जाने वाले जहाज का मुख्य विवरण	
4	राजस्ट्री के पिछले प्रमाण पत्र की प्रति। (बेयरबोट राजस्ट्री के मामले में मुख्य सी.ओ.आर. तथा बेयरबोट सी.ओ.आर. दोनों प्रस्तुत किए जाने चाहिए)	
5	ध्वज या IACS सदस्यों द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाणपत्र की प्रति	
6	जहाज खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन की प्रति जिसमें अधिग्रहण की अनुमानित तिथि और स्थान का उल्लेख हो	
	चरण-3: स्वामित्व की घोषणा पर हस्ताक्षर	
7	आधिकृत सर्वेक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित अनुमोदित टन भार के आधार पर राजस्ट्री द्वारा जारी मूल नक्काशी और अंकन नोट	
8	जहाज के धनुष, पिछले भाग, इंजन कक्ष बल्कहेड और व्हील हाउस में पेंटल को प्लेट पर की गई नक्काशी और चिह्नंकन की तस्वीरें।	
9	कंपनी सचिव (या कंपनी के दो निदेशकों) द्वारा हस्ताक्षरित मूल बॉर्ड संकल्प जिसमें क) जहाज की प्रस्तावित खरीद का विवरण और ख) कंपनी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने / निष्पादित करने के लिए व्यक्ति/व्यक्तियों को अधिकृत करना शामिल हो।	
9	बॉर्ड के प्रस्ताव के समान दस्तावेज, यदि एकल स्वामी हो तो स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित अथवा सभी संयुक्त स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित, जिसमें जहाज की प्रस्तावित खरीद का विवरण दिया गया हो।	
10	सेकेंड हैंड जहाज के अधिग्रहण के मामले में विक्रेता द्वारा निष्पादित और वैधीकृत मूल विक्रय दस्तावेज।	
11	स्वामित्व में परिवर्तन और किसी अन्य ध्वज में राजस्ट्री के लिए पिछले ध्वज से नो-इन्कम्बरेंस प्रमाण-पत्र या पिछले ध्वज से एनओसी के साथ रजिस्टर की प्रतिलिपि।	
12	पंजीकरण के समय ऑनबोर्ड पर मौजूद मास्टर की योग्यता के वैध प्रमाण पत्र की प्रति।	
	चरण-4: राजस्ट्री प्रमाणपत्र जारी करना - अनंतिम (नोट: चरण-3 और चरण-4 एक साथ ऑनबोर्ड हो सकते हैं)	
13	जहाज पर भौतिक सत्यापन के बाद प्राधिकृत सर्वेक्षक द्वारा फॉर्म संख्या 16 में जारी किया गया सर्वेक्षण का मूल प्रमाण पत्र, जो जहाज के विवरण को प्रमाणित करता हो।	
14	पिछले ध्वज/आर.ओ. के तहत जारी वैधानिक प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि	
15	बिल्डर द्वारा जारी किया गया मूल बिल्डर प्रमाणपत्र। इस पर बिल्डर द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिसमें जहाज का मूल्य और टन भार, निर्माण की तिथि और स्थान, किसके लिए निर्माण किया गया, यार्ड संख्या आदि का सही विवरण हो। (यदि ऐसे विवरण अज्ञात हैं, तो मालिक से इस आशय की घोषणा की आवश्यकता है)।	
16	विक्रेता और क्रेता दाना द्वारा हस्ताक्षरित डलावरा और स्वाकृत का मूल प्राटाकाल, जिसमें कहा गया है कि भुगतान प्राप्त होने पर जहाज का पूरा स्वामित्व बिना किसी ग्रहणाधिकार, बंधक और भार के क्रेता को हस्तांतरित कर दिया गया है।	

17	स्वामित्व का घोषणा (तनधारित प्रपत्रा पर; कंपनी का लिए संख्या 5) विधिवत भरकर प्रस्तुत की जानी चाहिए। नोट: घोषणा को रजिस्टार या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में बोर्ड के संकल्प के अनुसार कंपनी के विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा सीधे हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। ऐसे सत्यापन का स्थान उल्लेखित किया जाना चाहिए। घोषणाकर्ता व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। पहचान के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट/सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। शेयरों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेखित की जानी चाहिए (जैसे सभी या 10 में से 10)।	
17	स्वामित्व का घोषणा (संयुक्त मालिकों के लिए रजिस्टार प्रपत्र संख्या 3 पर) विधिवत भरकर प्रस्तुत की जानी चाहिए। नोट: घोषणा को मालिकों (यदि मालिक/संयुक्त मालिक हैं) द्वारा रजिस्टार या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में सीधे हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। ऐसे सत्यापन का स्थान उल्लेखित किया जाना चाहिए। घोषणा करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए। पहचान के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट/सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। शेयरों की संख्या स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए (जैसे सभी या 10 में से 10)। यदि जहाज/शेयर का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों के पास है, तो उनमें से प्रत्येक द्वारा घोषणा की जानी चाहिए।	
18	आरओ द्वारा अनुमोदित/मुद्रांकित पोत के निम्नलिखित चित्र प्रस्तुत किए जाने हैं। 1. सामान्य व्यवस्था 2. मध्य भाग खंड 3. चालक दल आवास योजना	
	नोट: आरओ पाओ द्वारा दिए गए प्राधिकरण के आधार पर क्रम संख्या 7 से 18 तक का वस्तुआ के सत्यापन के बाद अनंतिम सीओआर जारी कर सकता है। पीओ का प्राधिकरण केवल दो सप्ताह के लिए वैध होगा।	
	चरण-5: रजिस्ट्री प्रमाणपत्र जारी करना - स्थायी (नोट: दस्तावेज छह महीने के भीतर या प्रथम भारतीय बंदरगाह पर आगमन से पहले जो भी पहले हो, प्रस्तुत किए जाने चाहिए)	
19	पिछले झंडे से मूल विलोपन प्रमाणपत्र। यदि पूर्व झंडे के तहत पंजीकरण केवल अनंतिम या नंगे नाव रजिस्ट्री था, तो स्थायी रजिस्ट्री से विलोपन प्रमाणपत्र भी आवश्यक है	
20	अनंतिम रजिस्ट्री जारी करने के बाद मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की प्रतियां	
21	क्रमांक 7 से 18 तक उल्लेखित सभी मूल दस्तावेज आरओ द्वारा सत्यापित करके रजिस्टार को प्रस्तुत किए जाने हैं।	
22	भारतीय बंदरगाह पर जहाज के आगमन के संबंध में मालिकों से पुष्टि पत्र (पहले भारतीय बंदरगाह पर पहुंचने पर तुरंत प्रस्तुत किया जाना चाहिए)	
	चरण-6: सीओआर जारी होने के बाद - स्थायी	
23	भारतीय नियमों के तहत अनुमोदित चालक दल आवास योजना की प्रति। (यदि प्रमाणित आवास की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो कंपनी तुरंत सी.ओ.आर. में परिवर्तन के लिए आवेदन करेगी)	
24	भारतकोश शुल्क रसीद	
	ध्यान दें; छायांकित बॉक्स लागू नहीं दर्शाते हैं।	
	नोट: यदि स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया गया था, तो सभी मूल दस्तावेज पंजीकरण के तुरंत बाद रजिस्टार को भेजे जाएंगे और किसी भी मामले में 30 दिनों के भीतर। मूल दस्तावेज जमा करने में देरी से ट्रेडिंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।	